

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

प. 13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021/02463

जयपुर, दिनांक:

—: परिपत्र :-

विषय:—समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने के सम्बन्ध में।

समस्त राजसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष **01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी** तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है, जिसके बिन्दु निम्न प्रकार है:—

1. प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2023 (01 जनवरी 2024 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE को बंद कर दिया जायेगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकता।
2. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत जो राजसेवक अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन-लाईन नहीं भरेंगे तो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.23 में स्थिति स्पष्ट की गई है कि अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन-लाईन नहीं भरने वाले राजसेवक की पदोन्नति उपरान्त प्रशासनिक विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश तब तक जारी नहीं किये जायेंगे जब तक कि अचल सम्पत्ति विवरण ऑन-लाईन नहीं भरा जावे। पदोन्नति आदेश में स्पष्ट किया जावे कि उसके पदोन्नति आदेश किस कारण से रोके गये हैं। ऐसे पदोन्नत राजसेवक को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ रिक्ति दिनांक से तथा वास्तविक लाभ पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों पर भी लागू है।
3. समस्त राजसेवकों को SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क 0141-292(2281)(1149)(1856) एवं (1304) पर कर सकते हैं।

Signature valid

RajKaj Ref
5216286



Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.12.26 10:18:53 IST
Reason: Approved

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों तथा बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन समय सीमा में पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
7. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रेषित कर लेख है कि समस्त राजसेवकों को IPR निर्धारित समय सीमा में भरने हेतु SMS के माध्यम से समय-समय पर सूचित करावें।
8. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग को प्रेषित कर लेख है कि Social Media handles व प्रेस नोट के माध्यम से नि:शुल्क व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।
9. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
10. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
11. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर।

Signature valid

RajKaj Ref
5216286

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.12.26 10:18:53 IST
Reason: Approved